नंबर

...यालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

...अधिवक्ता का .... 1/67/2020 .... तारीख रजू........................

राजे .... बनाम राजेश कोली

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..2020	वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी के वकील श्री सुभाषचन्द अधि. ... ने पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जरिये समन तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9/7/2020 को पेश हो। [signature]	
	9.7.2020 कथुराम ... उप०/P.O. बाबत Covid-19 ... जवाब दावा हेतु ... पत्रावली दिनांक 27/8/20 को पेश हो। [signature]	
27/8/20	... उप०/P.O. बाबत Covid-19 ... पत्रावली दिनांक 4-2-21 को पेश हो। [signature]	
4-2-21	वकील वादी ... उपस्थित। साबिका आदेश दिनांक 23-6-20 की पालना में पत्रावली वास्ते ... नं. 6 उप० जवाब दिनांक 2/3/21 ... को पेश हो। पेश नहीं करना चाहते हैं। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
2/3/21	वकील वादी उप०, वकील वादी ने PW-1 राजे PW-2 ... PW-3 ... के बयान कराये। ... वकील वादी और बयान कराना नहीं चाहता। साक्ष्य बन्द की जाती है। साक्ष्य प्रतिवादी भी अपनी साक्ष्य कराना नहीं चाहता है। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वास्ते जवाब दावा दिनांक 23/3/21 को पेश हो।
23.3.21	वकील वादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 2/3/21 की पालना में पत्रावली वास्ते जवाब दावा अन्तिम मौका दिनांक 8/4/21 को पेश हो। सक्षम अधिकारी कठूमर (अलवर)
8.4.21	वकील वादी हाजिर। साबिक आदेश दिनांक 2/3/21 की पालना में पत्रावली वास्ते जवाब दावा अन्तिम मौका दिनांक 19.4.21 को पेश हो। सक्षम अधिकारी कठूमर (अलवर)
	19.4.21 कुजाब कोरोना वजह/P.O. वजह Covid 19 पत्रावली दिनांक 12/7/2021 को पेश हो।
12/7/21	कुजाब कोरोना वजह/P.C वजह Covid 19 पत्रावली दिनांक 6/12/21 को पेश हो।
6/12/21	पत्रावली पेश कर Pls. में रखी गई। जवाब दावा सुना गया पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/1/22 को पेश हो।
6/01/22	वकील वादी ... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 6/12/21 की पालना में पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 31/3/22 को पेश हो। आदेश नहीं सुनाया ... समयाभाव के कारण सक्षम अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/3/22	पत्रावली उपस्थित। वकील वादी ने लिखित बहस पेश की गयी बाद आदेश दिनांक 1/4/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
1/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रति० उपस्थित। दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी नं० 1 का नाम [illegible] के हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार कठूमर को आदेश होवे कि राजस्व रेकार्ड में उसी अनुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। दावा पेशी शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शाया किया। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1/67/2020

वउनवान

1. रवि पुत्र राजेश जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर
2. अनिल पुत्र राजेश जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर

जिला अलवर

------वादीगण

बनाम

1. राजेशपुत्र सिर्रूसिंह जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर

– असल प्रतिवादीगण

2. प्रेमवती पत्नी कारेसिंह जाति जाट निवासी रेटा
3. सुंरेश पुत्र कारे जाति जाट निवासी रेटा
4. सरोज पत्नी राजेश जाति जाट निवासी रेटा
5. भगवानसिंह पुत्र केहरीसिंह जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर
6. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तह0 कठूमर

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–
श्री सुभाशचन्द 'अर्रूवा' एडवोकेट– वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 01.042022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा 470 रकवा 0.23 हे. 472 रकवा 0.34 हे. 526 रकवा 0.20 हे 527 रकवा 0.15 हे. 546 रकवा 0.60 हे.हिस्सा खसरा नम्बर 532 रकवा 0.56 हे. 583 रकवा 0.80 हे. 602 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

0.57 हे. 621 रकवा 0.28 हे. खसरा नम्बर 545 रकवा 0.40 हे. खसरा नम्बर 553 रकवा 0.68 हे. 579 रकवा 0.63 हे. 531 रकवा 0.06 हे. में 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 479 रकवा 1.52 हे. खसरा नम्बर 468 रकवा 1.62 हे. खसरा नम्बर 453 रकवा 0.80 हे. खसरा नम्बर 452 रकवा 0.16 हे. ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण की पैत्रिक आराजी है व पैत्रिक आराजी की कमाई से खरीदशुदा आराजी है। विवादित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 राजेश को वादीगण के दादा सिर्रूसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है। जिस कारण विवादित आराजी वादीगण की पैत्रिक की पैत्रिक आराजी होने व पैत्रिक आराजी की कमाई से खरीदशुदा आराजी होने के कारण वादीगण को विवादित आराजी में अपने 2/3 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का जन्म से ही यानि बाई बर्थ खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा वादीगण विवादित आराजी पर जन्म से ही अपने हिस्सेनुसार आराजी के काविज कृशक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है प्रतिवादी सं0 1 वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार मानने से इन्कार हो रहा है। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड मं प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है जिस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करने पर अमादा है प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण को खुले आम धमकी दी है कि विवादित आराजी मेरे नाम है अव मैं तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगा जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करूँगा जवकि प्रतिवादी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादी अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो वादीगण तवाह एंव वर्वाद हो जावेगें इस वजह से वादीगण विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी की घोषणा कराने व प्रतिवादी को पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण ने दावा मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 की ओर से श्री सतेन्द्रकुमार शर्मा अधिवक्ता ने ईकवाल जवाव पेश कर दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये वाद वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया। इकवाल जवाव पेश किया जो भामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम रेटा प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम मसारी किता 4, प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी संवत् 2051 लाo 2054 वाके रेटा किता 3 प्रदर्श 4 नकल जमाबन्दी संवत् 2053 से 2058 वाके ग्राम रेटा प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 वाके ग्राम मसारी किता 3 व प्रदर्श 6 नकल इन्तकाल संख्या 1899 वाके ग्राम मसारी कीसत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह PW1वादी रविPW 2सुगडसिंह PW3रामवीरके बयान पंजीवद्व कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से लिखित बहस पेश हुई। जिसमें अधिवक्ता वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में विवादित आराजी वादीगण के दादा सिर्रूसिंह की खातेदारी में दर्ज है। सिर्रूसिंह वादीगण का दादा लगता है। विवादित आराजी सिर्रूसिंह की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है तथा सिर्रूसिंह से ही विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। सिर्रूसिंह वादीगण का दादा है तथा कानूनन दादा की आराजी में उसके पोत्रों का जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो जाते है। विवादित आराजी पैत्रिक आरांजी सावित है। गवाह रवि ने विवादित आराजी को सिर्रूसिंह की पैदा कर्दा आराजी बताया व विवादित आराजी में वादीगण का 2/3 हिस्से पर कब्जा का त बताया गवाह पी डब्ल्यू 2 व गवाह पी डब्ल्यू 3 ने भी वादीगण के दावा का समर्थन किया है। प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 ने अपना ईकवाल जवाव पेश कर दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा वाद वादीगण डिकी किये जाने की सहमति प्रदान की है। जो प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 का स्वीकारोक्ति कथन है। अतः वादीगण को प्रतिवादी सं0 1के नाम दर्ज आराजी में 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे प्रतिवादी सं0 1 को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों वादीगण द्वारा प्रस्तुत साविक एंव हाल राजस्व रेकार्ड, गवाहान आदि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन किया। वादीगण ने विवादित आराजी को पैत्रिक सावित करने के लिये दादा सिर्रूसिंह के विरासत इन्तकाल सं0 1899 वाके ग्राम मसारी प्रदर्श 6 की

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

सत्यप्रतिलिपी पेश की है जिसके अवलोकन से यह सावित है कि सिर्रूसिंह का विरासत इन्तकाल प्रतिवादी सं0 1 राजेश व वेवा सुफेदी पुत्र केहरीसिंह व जलसिंह के नाम स्वीकार हुआ है। जिस इन्तकाल के आधार पर ही विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1को विरासत में मिली व इन्तकाल के आधार पर ही जमाबन्दियों में अमल हो गया। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम मुताविक हिस्सा दर्ज है। पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से हम वादीगण के इस तथ्य से सहमत है कि विवादित आराजी वादीगण के दादा सिर्रूसिंह से ही प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में मिली है जिसमें वादीगण के 2/3 हिस्सा के हक वो अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना इकवाल जवाव पेश किया है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 ने दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में वादीगण को 2/3 हिस्से की खातेदारी घोषित किये जाने में सहमति प्रदान की है। गवाह वादीगण भी विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हिस्सा में 2/3 हिस्सा पर वादीगण का कब्जा व काश्त करना कथन करते है। अतः अदालत के विनम्र मत में विवादित आराजी वादीगण की पैत्रिक आराजी होना तथा 2/3 हिस्सा पर वादीगण का कब्जा काश्त सावित है। अतः दावा के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, प्रतिवादी सं0 1ला0 5 के ईकवाल जवाव व गवाहान के वयान के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन करने पर विवादित आराजी वादीगण की मृतक दादा सिर्रूसिंह की खातेदारी की होना व सिर्रूसिंहसे प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में मिलना सावित है। प्रतिवादीगण को वाद वादीगण मुताविक मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है। अतः वाद वादीगण सावित होने से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण वावत आराजी खसरा 470 रकवा 0.23 हे. 472 रकवा 0.34 हे. 526 रकवा 0.20 हे 527 रकवा 0.15 हे. 546 रकवा 0.60 हे. ग्राम रेटा में वादीगण का 1/4 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 532 रकवा 0.56 हे. 583 रकवा 0.80 हे. 602 रकवा 0.57 हे. 621 रकवा 0.28 हे. वाके रेटा में वादीगण का 1/2 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 545 रकवा 0.40 हे. में 3/40 हिस्सा

में से 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 553 रकवा 0.68 हे. 579 रकवा 0.63 हे. 531 रकवा 0.06 हे. में 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 479 रकवा 1.52 हे. में 1/2 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 468 रकवा 1.62 हे. में 1/2 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 453 रकवा 0.80 हे. कें 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 452 रकवा 0.16 हे. के 2/3 हिस्सा ग्राम मसारी तहसील कठूमर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 का नाम वादीगणके हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी को डिक्री हूक्मईनताईदवामी से पावंद किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। दावा फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 01.04.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)